न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 08 / 2022 वाद
जीसीएमएस नम्बर 2022 / 53

1. मदनलाल पिता चेनरामजी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी भट्टकोटडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०। –वादी

बनाम

1. कमलीबाई पत्नि स्व० गमेरा जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी फुटवाड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
2. गुलाबी बाई पत्नि उदा जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी फुटवाड तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज०।
3. चंदा पुत्री गमेर जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी फुटवाड तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
4. नर्बदा बाई पुत्री उदा जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी फुटवाड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
5. मंजु बाई पुत्री गमेर जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी फुटवाड तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
6. मुन्ना बाई पुत्री उदा जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी फुटवाड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
7. मांगीलाल पुत्र उदा जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी फुटवाड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
8. ललिताबाई पुत्री गमेर जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी फुटवाड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
9. हीरालाल पुत्र गमेर जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी फुटवाड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
10. ऊंकारलाल पुत्र उदा जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी फुटवाड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
11. पप्पुलाल पुत्र भुरालाल जाति नायक आयु वयस्क निवासी फुटवाड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

––प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:52:28 IST
Reason: SelfAttested

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्री नरेन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता वादी उपस्थित।
श्री घनश्याम असावा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण

::निर्णय:: दिनांक 01.02.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा अरनोदा पटवार

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

हल्का अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित खाता संख्या 118 की आराजी नं0 257 रकबा 1.1400 हैक्टेयर स्थित है।

2. वादग्रस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजियात में वादी का 5/11 हक हिस्सा, तथा प्रतिवादी नम्बर 1 से 11 का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्सा निहित है, तथा इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपने अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने की वजह से लगान को लेकर व रकबे की कमी पेशी को लेकर आये दिन वादी व प्रतिवादीगणों के मध्य विवाद होता रहता है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगणों को वादग्रस्त आराजियात का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज अनुसार, बटवाड़ा बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कराने हेतु प्रतिवादीगणों को कहा ता प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे है, तथा बटवाड़ा कराने से इंकार हो गये है इसलिए वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादी का मौके पर काबिज अनुसार एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार 5/11 हक हिस्सा, बटवारा करा कर अलग कराने का अधिकारी है, तथा प्रतिवादीगण का हक हिस्सा बदस्तुर शामिल रखाने का अधिकारी हे। इस आशय का वाद वादी ने पेश किया।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 18.05.2022 को इकबाली जवाबदावा एवं राजीनामा इस आशय का पेश किया कि वाके मौजा अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित खाता संख्या 118 की आराजी नं0 257 रकबा 1.1400 हैक्टेयर भूमि का बटवारा बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स मौके पर काबिज अनुसार किया जाकर वादी का 5/11 हिस्सा अलग दर्ज किया जावें, तथा प्रतिवादी नं0 11 ने प्रतिवादी नम्बर 10 का दर्ज सम्पूर्ण हक हिस्सा क्रय कर खातेदारी में दर्ज करवा दिया है इसलिए प्रतिवादी नम्बर 11 का 1/11 हक हिस्सा अलग किया जावें तथा प्रतिवादी नं.0 1 से 9 का हक हिस्सा बदस्तुर शामिल रखा जावें। इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी नं0 11 का हक हिस्सा बटवाड़ा कर अलग किया जावें। वाद वादी राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. बहस उभय पक्ष एवं राजीनामा अनुसार वाद वादी दिनांक 18.05.2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/–रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये गये थे कि वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा अरनोदा प0ह0 अरनोदा तह0 निम्बाहेड़ा में स्थित खाता संख्या 118 की आराजी नं0 257 रकबा 1.1400 हैक्टेयर भूमि का बटवारा बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स मौके पर काबिज अनुसार किया जाकर वादी का 5/11 हिस्सा अलग दर्ज किया जावें, तथा प्रतिवादी नं0 11 ने प्रतिवादी नं0 10 का दर्ज सम्पूर्ण हक हिस्सा क्रय कर खातेदारी में दर्ज करवा दिया हैं। इसलिए प्रतिवादी नं0 11 का 1/11 हक हिस्सा अलग किया जावे तथा प्रतिवादी नं0 1 से 9 का हक हिस्सा बदस्तुर शामिल रखा जावे। इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी नं0 11 का हक हिस्सा मौके पर काबिज अनुसार बटवाड़ा कर अलग किया जावे। तदनुसार फर्द विभाजन प्रस्ताव मय राजस्व नक्शा ट्रेस सहित तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2246 दिनांक 28.12.2022 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जो माफिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:52:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (रा0) निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा

आदेशानुसार है। वकील उभयपक्ष,तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त फर्द विभाजन प्रस्ताव पर सहमत है।

5. अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा अरनोदा की खाता संख्या 118 की अराजी नं0 257 रकबा 1.1400 हैक्टेयर का बंटवारा फरिकेन मध्य निम्नानुसार किया जाता है।

1. श्री मदनलाल पिता चेनराम मेघवाल सा. भट्टकोटड़ी तह0 निम्बाहेड़ा खा.।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
257 मी. दक्षिण	0.52 हैक्टयर	चाही–3

कुल किता– 1 रकबा 0.52 हैक्टेयर

2. श्री पप्पुलाल पिता भुरालाल नायक सा. फुटवाड़ खा. ।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
257 मध्य	0.10 हैक्टयर	चाही–3

कुल किता– 1 रकबा 0.10 हैक्टेयर

3. श्रीमती गुलाबी बाई पत्नी उदा 5/26 मांगीलाल पि0 उदा 21/52 ललिताबाई पुत्री गमेर 2/52 हीरालाल पिता गमेर 19 / 52 नायक सा. फुटवाड खा. ।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
257 उत्तर	0.52 हैक्टेयर	चाही–3

कुल किता– 1 रकबा 0.52 हैक्टेयर

6. उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन होने पर सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

7. निर्णय आज दिनांक 01.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:52:28 IST
Reason: SelfAttested

1/2/23

(... सिरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 08/2022 वाद
जीसीएमएस नम्बर 2022/53

1. मदनलाल पिता चेनरामजी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी भट्टकोटडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० –वादी

बनाम

1. .कमलीबाई पत्नि स्व० गमेरा जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी फुटवाड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
2. गुलाबी बाई पत्नि उदा जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी फुटवाड तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज०।
3. चंदा पुत्री गमेर जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी फुटवाड तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
4. नर्बदा बाई पुत्री उदा जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी फुटवाड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
5. मंजु बाई पुत्री गमेर जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी फुटवाड तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
6. मुन्ना बाई पुत्री उदा जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी फुटवाड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
7. मांगीलाल पुत्र उदा जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी फुटवाड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
8. ललिताबाई पुत्री गमेर जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी फुटवाड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
9. हीरालाल पुत्र गमेर जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी फुटवाड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
10. ऊंकारलाल पुत्र उदा जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी फुटवाड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।
11. पप्पुलाल पुत्र भुरालाल जाति नायक आयु वयस्क निवासी फुटवाड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

––प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:52:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर निम्बाहेडा–जिला चित्तौडगढ (राज.)

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्री नरेन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता वादी उपस्थित
श्री घनश्याम असावा, अधिवक्ता प्रतिवादी 1 से 11 उपस्थित

दिनांक 01.02.2023

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

प्रकरण में वादी की और से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव, एवं अधिवक्ता श्री घनश्याम असावा प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 11 की और से उपस्थित, प्राथमिक डिक्री की जाकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित खाता संख्या 118 की आराजी नम्बर 257 रकबा 1.1400 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा फरिकेन के मध्य उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर काबिज अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादी का 5/11 हिस्सा अलग दर्ज किया जावे, तथा प्रतिवादी नं0 11 ने प्रतिवादी नं0 10 का दर्ज सम्पूर्ण हक हिस्सा क्रय कर खातेदारी में दर्ज करवा दिया है इसलिए प्रतिवादी नं0 11 का 1/11 हक हिस्सा अलग किया जावे। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी नं0 11 का हक हिस्सा अलग किया जावे तथा प्रतिवादी नं0 1 से 9 का हक हिस्सा बदस्तूर शामिल रखा जावे। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी नं0 11 का हक हिस्सा मौके पर काबिज अनुसार बटवाड़ा कर फर्द विभावजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/2246 दिनांक 28.12.2022 द्वारा फर्द विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्रस्तुत किया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त फर्द विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है एवं प्राप्त फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किये जाने में अपनी सहमति दी। अतः तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त फर्द विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है। फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा अरनोदा पह0 ह0 अरनोदा तह0 निम्बाहेड़ा की आराजी नं0 257 रकबा 1.1400 हैक्टेयर का बंटवारा उभय पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार किया जाता है–

1. श्री मदनलाल पिता चेनराम मेघवाल सा. भट्टकोटड़ी तह0 निम्बाहेड़ा खा.।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
257 मी. दक्षिण	0.52 हैक्टयर	चाही–3
कुल किता– 1	रकबा 0.52 हैक्टेयर	

2. श्री पप्पुलाल पिता भुरालाल नायक सा. फुटवाड़ खा. ।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
257 मध्य	0.10 हैक्टयर	चाही–3
कुल किता– 1	रकबा 0.10 हैक्टेयर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:52:28 IST
Reason: SelfAttested

3. श्रीमती गुलाबी बाई पत्नी उदा 5/26 मांगीलाल पि0 उदा 21/52 ललिताबाई पुत्री गमेर 2/52 हीरालाल पिता गमेर 19 / 52 ना[illegible] सा. फुटवाड खा. ।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
257 उत्तर	0.52 हैक्टेयर	चाही–3
कुल किता– 1	रकबा 0.52 हैक्टेयर	

न्यायालय सहायक कलक्टर (प्रथम) निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन होने पर सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज तारीख 01.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा-जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:52:28 IST
Reason: SelfAttested